

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

कार्यांक/रीडर/2024/2024/425


दिनांक- 22/05/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय:- प्र.स. 425/2024 अनवान रमेश चन्द्र पिता मोहन लाल मीणा निवासी चान्दादण्ड बनाम सतशा देवी पत्नी भंवर लाल मीणा निवासी ग्राम चान्दादण्ड, कान्ता देवी पत्नी धर्मराज निवासी चान्दादण्ड, छीतर पिता हजारी कुम्हार निवासी चान्दादण्ड, दुर्गादेवी पत्नी रामस्यरूप कुम्हार निवासी ग्राम ईटुन्दा, विष्णु कान्ता पत्नी कैलाश चन्द्र कुम्हार निवासी ईटुन्दा, तहसीलदार जहाजपुर वगैरह की पत्थरगडी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम ईटुन्दा प.ह. ईटुन्दा आराजी सं. 1453/2 कुल कित्ता 01 रकबा 0.5908 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगडी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लुहारीकलां को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगडी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगडी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।


उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

फॉर्म अहकाम

(विभाग ३१०)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

एगेश चन्दा पिता गोहन लाल भीणा निवासी चान्दावण्ड ,

बनाग

संतरा देवी पत्नी भंवर लाल भीणा निवासी ग्राम चान्दावण्ड वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 425/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की लागू में जारी हुये
22/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम ईटून्दा प.ह. ईटून्दा आराजी सं. 1453/2 कुल किता 01 रकबा 0.5908 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायलय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम ईटून्दा प.ह. ईटून्दा आराजी सं. 1453/2 कुल किता 01 रकबा 0.5908 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक लुहारीकलां को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार जहाजपुर को लिखा जावें। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 22/05/2024 को खुलं न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी

जहाजपुर जिला शाहपुरा